

तारीख
हुक्म

24.02.2023

फ़ातली पेश हुई। अधिवक्ता रंघु बालोतरा द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार रखा गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। फ़ातली वास्तु शेष विप्राधी की तलबी इंतजार दिनांक 14.03.2023 को पेश हो।

14.03.2023

फ़ातली पेश हुई। अधिवक्ता रंघु बालोतरा के न्यायिक कार्यों में उपस्थित नहीं होने के आह्वान पर पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। फ़ातली वास्तु शेष विप्राधी की तलबी इंतजार दिनांक 28.03.2023 को पेश हो।

28/3/23

3 वकील ज़ाकी उपस्थित। विप्राधी कंटंजा 3 से 6 के वकील उपस्थित। शेष विप्राधी की तलबी हेतु उपस्थित 06.04.23 दिनांक फ़ातली वाले - विप्राधी कंटंजा 1 व 2 व 7, 8 की तलबी हेतु दिनांक 06.04.23 को पेश हो

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

गुप्त
दिनांक

06.04.2023 वकील ज़ाकी उपस्थित। विप्राधी कंटंजा 3 से 6 के वकील उपस्थित। शेष विप्राधी हेतु उपस्थित। अधिवक्ता अधिवक्ताओं की वजह से वजह वजह पर प्रत्यक्ष किया गया। फ़ातली का सम्पत्ति - पूर्वक द्वारा प्रेषित किया। यादा कि विवादित मूद्रा के

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा


189/2022

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

प्राप्ति व विद्यार्थी वंशज। से 6
 विकारित रूपि के कस्टडियन है
 और मूलवाद संस्था का काम ही
 है, अतः उक्तवादी क सुरा प्रसि का
 वाद एकीकरण कर अवाकवा भी
 काउन्सिल वलम पेश किना या सुना
 है। जब पड़कालार को संस्था कबो
 में प्रवेश नही है, तो लगात
 आदेश जारी नही रह सकता है
 और कस्टडियन को लगात आदेश
 ले वाक्य भी नही किना या कर
 है लिहाजा ग्यापमप द्वारा जारी
 लगात आदेश किना 13.6.2022 को
 मीटिंग किना जाता है प्राप्ति का
 आदेश का धरा 212 RTI का
 खारीच किना जाता है

पत्रावली जेम्स कम्पल धरकर
 दाखिल करवा दें


 सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा

खर व
 काम जो
 तामील में जारी